**Conditions for release of funds for Textile Workers' Rehabilitation Scheme**

1253. SHRI VITHALBHAI M. PA TEL: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government have put up certain conditions for release of funds for textile workers rehabilitation scheme;

(b) if so, what are these conditions and what are the reasons for putting such conditions; and

(c) whether there is any demand to remove certain conditions for the benefit of textile workers?

THE MINISTER OF STATE (IN-DEPENDENT CHARGE) OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI ASHOK GEHLOT): (a) and (b) Yes, Sir. The Textile Workers' Rehabilitation Fund Scheme is meant to provide interim relief to the workers, who have been rendered jobless, due to permanent closure of a textile mill. To ensure that the benefit of the scheme is not misused, a condition has been put that the licence of the concerned closed unit is to be surrendered for cancellation before disburse-ment of funds.

(c) A reference has been received from Textile Labour Association.

**Tax on Inter-State consignment of goods**

1254. SHRI VITHALBHAI M. PA TEL: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Govern ment have completed formalities to impose tax on Inter-State consignment of goods;

(b) if so, what are the reasons for delay in **finalising** the scheme; and

(c) by when Government will take final decision in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FTNANCE (SHRI RAMESHWAR THAKUR): (a) to (c) Some proposals in this regard have been received. The matter requires further consultations with States.

**प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम की समीक्षा करने का प्रस्ताव**

1255. श्रीमती वीणा वर्मा :
श्री कपिल वर्मा :
कुमारी सईदा खातून :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुस्तक प्रकाशकों द्वारा प्रतिलिप्याधिकार अधिनियम का उल्लंघन किये जाने की बढ़ती हुई शिकायतों को दृष्टिगत रखते हुए सरकार इस अधिनियम की समीक्षा करने का विचार रखती है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस अधिनियम को ठीक रूप से लागू न किये जाने के कारण चोरी के वीडियो कैसेटों और बेबस टेलिविजन का फिल्म उद्योग पर बुरा असर पड़ा है; और

(ग) वर्तमान प्रतिलिप्याधिकार अधि-नियम कब अधिनियमित किया गया था और उसका ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) सरकार विभिन्न वर्गों से प्राप्त सुझावों को दृष्टि में रखते हुए कापीराइट अधिनियम, 1957 की समीक्षा कर रही है ताकि इसे और अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जा सके ।

(ख) इस अधिनियम के दण्ड संबंधी प्रावधानों को लागू करने की जिम्मेदा

राज्य सरकारों की हैं। तथापि, ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि केबल टेलीविजन और वीडियो कैसेटों की चोरी से फिल्म उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ग) कापीराइट अधिनियम, 1957, 1957 के अधिनियम 14 द्वारा तैयार किया गया था और इसे 21 जनवरी, 1958 को लागू किया गया। अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं हैं उन कार्यों का पता लगाना जिनके लिए सुरक्षा प्रदान की जाती है, इस प्रकार सुरक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की परिभाषा, सुरक्षा का स्वरूप सीमा तथा अवधि, कापीराइट की सुपुर्दगी, किसी कापीराइट धारक को उसके अधिकारों के प्रयोग के लिए उपलब्ध कानूनी उपाय और कुछ विवादों के मामलों में सांविधिक मध्यस्थता, आदि।

इस कापीराइट अधिनियम में 1983 के संशोधन अधिनियम 23 द्वारा 1983 में संशोधन किया गया था जिसके विशिष्ट उद्देश्य थे--शैक्षिक प्रयोजनों के लिए अपेक्षित विदेशी कृतियों के अनुवाद तथा पुनः मुद्रण के लिए अनिवार्य लाइसेंस प्रदान करने से संबंधित प्रावधान शामिल करना, लेखकों के अधिकारों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करना और अधिनियम के संचालन में अनुभव की गई प्रशासनिक भूलों को दूर करना। यह संशोधन 9-8-1984 से प्रभावी बनाया गया।

इस कापीराइट अधिनियम में पुस्तकों तथा श्रव्य-दृश्य कृतियों की व्यापक चोरी पर रोक लगाने की दृष्टि से 1984 के संशोधन अधिनियम 65 द्वारा 1984 में और संशोधन किया गया था। इस संशोधित अधिनियम में, जो 8-10-84 को लागू किया गया, अनेक अपराधों के लिए दण्ड को और अधिक कठोर बनाया गया था।

**कपास और कपास के सूत का निर्यात**

**डा० जितेन्द्र कुमार जैन :**
1256. **श्री राम जेठमलानी :**

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हमारे देश द्वारा प्रति वर्ष कपास का जो कच्चा माल है, निर्यात किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में और कितने मूल्य की कपास का निर्यात किया गया;

(ग) क्या यह भी सच है कि कपास का निर्यात करने की तुलना में सूत और उससे बने कपड़े का निर्यात करने से देश को अधिक विदेशी मुद्रा अर्जित करने में मदद मिलती है;

(घ) यदि हां, तो कपास के बजाय सूत तथा सूत के बजाय कपड़े का निर्यात करने से कितनी अतिरिक्त विदेशी मुद्रा अर्जित की जा सकती है;

(ङ) सरकार द्वारा सूत और कपड़े के बजाय कच्चे माल 'कपास' का निर्यात करने का निर्णय किए जाने के क्या कारण हैं; और

(च) क्या सरकार निकट भविष्य में अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने का विचार रखती है;

**वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतन्त्र प्रभार) (श्री अशोक गहलोत)** : (क) जी हां।

(ख) वर्ष 1988-89 से वर्ष 1990-91 तक के कपास मौसम के